(समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु)

बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) फैक्स :– 2226906, फोन :– 0151–2226902, 0151–2226905
E-mail :- nagarnigambikaner@gmail.com, Web Site :- www.bikanermc.org

क्रमांक / विद्युत / 2025 / दिनांक :– ....

ई–निविदा सूचना संख्या 09 / 2024–25 / विद्युत

नगर निगम बीकानेर द्वारा विद्युत सम्बन्धित **कार्य (अनुमानित लागत राशि 231.48 लाख रूपये)** हेतु सक्षम / पात्र संभरणकर्ता जो कार्य करने / सामग्री संभरण करने के लिए अनुभवी हो, से एक वर्ष की वार्षिक दर संविदा पर निर्धारित प्रपत्र में ई–बोली प्रक्रिया से ऑनलाईन निविदा आंमत्रित की जाती है। निविदा कार्य से सम्बन्धित सम्पूर्ण विवरण एवं तिथि राज्य सरकार की ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल http://eproc.rajasthan.gov.in, www.sppp.rajasthan.gov.in तथा नगर निगम बीकानेर की वेबसाईट www.bikanermc.org पर देखी व डाउनलोड की जा सकती है तथा निर्धारित अवधि तक ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल http://eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड की जा सकती है।

1. **UBN Code :-**

आयुक्त
नगर निगम, बीकानेर

क्रमांक / विद्युत / 2025 / 1235-41 दिनांक :– 16-1-25
प्रतिलिपि :–

1. श्रीमान् निदेशक, राजस्थान संवाद, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त निविदा का प्रकाशन निर्धारित समाचार पत्र में RTPP के नियम 43(6) के अनुसार प्रकाशित करने का श्रम करावें एवं Intimation नगर निगम बीकानेर की ई–मेल आईडी nagarnigambikaner@gmail.com पर भिजवाने का श्रम करें।

आयुक्त
नगर निगम, बीकानेर

(वेबसाईट पर अपलोड हेतु)

बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) फैक्स :– 2226906, फोन :– 0151–2226902, 0151–2226905
E-mail :- nagarnigambikaner@gmail.com, Web Site :- www.bikanermc.org

क्रमांक/विद्युत/2025/ 1235-40 दिनांक :– 16-1-25

ई–निविदा सूचना संख्या 09/2024–25/विद्युत

नगर निगम बीकानेर द्वारा निम्नलिखित कार्यों हेतु इच्छुक सक्षम/पात्र संभरणकर्ता जो कार्य करने/सामग्री सम्भरण करने के लिए अनुभवी हो, से निर्धारित प्रपत्र में एक वर्ष की वार्षिक दर संविदा पर ई–बोली प्रक्रिया से ऑनलाईन बोलियाँ आंमत्रित की जाती है। कार्यों की अनुमानित लागत, टेण्डर बेचे जाने तथा प्राप्त करने की तारीख, टेण्डर शर्तें इत्यादि का सम्पूर्ण विवरण राज्य सरकार की ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल eproc.rajasthan.gov.in, www.sppp.rajasthan.gov.in तथा नगर निगम बीकानेर की वेबसाईट www.bikanermc.org पर देखी व डाउनलोड की जा सकती है तथा निर्धारित अवधि तक नगर निगम बीकानेर की वेबसाईट www.bikanermc.org पर निविदा शुल्क, प्रोसेसिंग शुल्क एवं EMD राशि जमा करवानें के पश्चात् निविदा को ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल http://eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड की जा सकती है।

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित राशि (लाखों में)	प्रोसेसिंग शुल्क	निविदा शुल्क	EMD राशि	कार्य अवधि
1.	बीकानेर नगरीय क्षेत्र में ईईएसएल, सूर्या कम्पनी द्वारा स्थापित एलईडी स्ट्रीट लाईट्स संधारण एवं लाईन फॉल्ट, केबलिंग आदि के रख–रखाव का कार्य।	231.48	2000/-	1000/-	2%	12 माह

ऑनलाईन निविदा अपलोड करने की प्रारम्भिक दिनांक व समय : 18/01/2025 को 09:30 बजे से

प्री–बिड मीटिंग दिनांक व समय : 24/01/2025 को 11:00 बजे

ऑनलाईन निविदा अपलोड करने की अन्तिम दिनांक व समय : 08/02/2025 को 18:00 बजे तक

ऑनलाईन निविदा खोलने की दिनांक व समय : 10/02/2025 को 15:00 बजे पश्चात्

आयुक्त
नगर निगम, बीकानेर

क्रमांक/विद्युत/2025/ 1235-40 दिनांक :– 16-1-25
प्रतिलिपि :–

1. प्रशासक महोदया, नगर निगम बीकानेर।
2. उपायुक्त (पूर्व/पश्चिम), नगर निगम बीकानेर।
3. वित्तीय सलाहकार, नगर निगम बीकानेर।
4. अधिशाषी अभियंता (वि.), नगर निगम बीकानेर।
5. नोटिस बोर्ड, नगर निगम बीकानेर एवं अधीनस्थ क्षेत्रीय/खण्ड मुख्यालयों के नोटिस बोर्ड पर।
6. सुरक्षित पत्रावली।

आयुक्त
नगर निगम, बीकानेर

–: ई–टेण्डर हेतु निविदादाता के लिये निर्देश :–

- निविदा पूर्णतया ऑनलाईन प्रक्रिया द्वारा भरी जावेगी। इच्छुक निविदादाता को अपने डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर रजिस्टर्ड होना आवश्यक है।
- **निविदादाता द्वारा निविदा की निर्धारित टेण्डर फीस, प्रोसेसिंग फीस एवं कार्य राशि की 2 प्रतिशत बयाना (EMD) राशि का भुगतान ऑनलाईन माध्यम से नगर निगम बीकानेर की वेबसाईट www.bikanermc.org पर Pay Online Tender ऑप्शन द्वारा Online Tender, RISL, EMD Fee Pay पर होगा। निविदा का ऑनलाईन भुगतान करने के पश्चात् जारी हुई रसीद की प्रति को ऑनलाईन वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।**
- निर्धारित शुल्क एवं EMD राशि से कम भुगतान करने वाली बोली पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा निविदा हेतु अयोग्य माना जावेगा।
- प्रोसेसिंग शुल्क MDRISL, Jaipur के नाम से देय होगा एवं शुल्क निम्नानुसार निर्धारित है :–

कार्य की अनुमानित लागत राशि (लाखों में)	निर्धारित शुल्क
50 लाख तक	500/-
50 लाख से अधिक 01 करोड़ से कम	1500/-
01 करोड़ से अधिक 05 करोड़ से कम	2000/-
05 करोड़ से अधिक	2500/-

- निविदा शुल्क निम्नानुसार निर्धारित है :–

नाम	आयुक्त, नगर निगम बीकानेर
कार्य की अनुमानित लागत राशि (लाखों में)	निर्धारित शुल्क
10 लाख तक	500/–
10 लाख से अधिक	1000/–

- इन निविदाओं में भाग लेने वाले निविदादाताओं को अपनी फर्म के नाम से डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को ऑनलाईन वेबसाईट पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा। ऑनलाईन निविदा में भाग लेने के लिये डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत् प्राप्त करना होगा, जो ई–निविदा में डिजिटल रूप से साईन करने हेतु काम आयेगा। निविदादाता उपरोक्त डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट सी.सी.ए. द्वारा स्वीकृत ऐजेन्सी से प्राप्त कर सकते हैं। जिन निविदादाताओं के पास में पूर्व में वैध डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है, उन्हें नया डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता है।
- निविदादाताओं को निविदा प्रपत्र ईलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में उपरोक्त वेबसाईट पर डिजिटल साईन के साथ अपलोड करना होगा। जिनके प्रस्ताव डिजिटल साईन के साथ नहीं होंगे, उनके प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- ई–निविदा प्रपत्रों को जमा करवाने से पूर्व निविदादाता यह सुनिश्चित कर लेवें कि निविदा प्रपत्रों से सम्बन्धित समस्त आवश्यक दस्तावेजों की स्केन कॉपी निविदा प्रपत्रों के साथ हस्ताक्षर मय सील सहित संलग्न कर ऑनलाईन अपलोड कर दी गई है।
- टेण्डर के प्रपत्रों में आवश्यक समस्त कॉलम को समुचित रूप से भरकर ही ऑनलाईन दर्ज करें।
- यदि निविदादाता टेण्डर को ऑनलाईन जमा करवानें में किसी भी कारण से विलम्ब हो जाता है तो उसका जिम्मेदार विभाग नहीं होगा।
- किसी भी बोलीदाता की बोली को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताये निरस्त करने के समस्त अधिकार सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित है।
- राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013, सामान्य वित्त एवं लेखा नियम तथा लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम के नियम लागू होंगे।
- किसी प्रकार की टंकणीय त्रुटि होने की स्थिति में विभागीय ISOR/BSR में वर्णित दरें/विवरण मान्य होंगी।
- RTPP and GF&AR S.R. 16 में वर्णित समस्त शर्तें वर्तमान परिपेक्ष्य में लागू होगी।

आयुक्त
नगर निगम बीकानेर

ई–निविदा सूचना संख्या 09/2024–25/विद्युत

–: तकनीकी निविदा प्रपत्र :–

निविदा में भाग लेने वाली फर्मों के तकनीकी बिड की जाँच निम्नलिखित बिन्दुओं के आधार पर ही की जावेगी। संवेदक द्वारा तकनीकी बिड मूल्यांकन हेतु निम्नानुसार दस्तावेज स्केन कर पीडीएफ फोरमेट में अपलोड करने होंगे :–

क्रं.सं.	दस्तावेजों का विवरण
1.	निविदादाता द्वारा निविदा की निर्धारित टेण्डर फीस, प्रोसेसिंग फीस एवं कार्य राशि की 2 प्रतिशत धरोहर राशि (EMD) का भुगतान ऑनलाईन माध्यम से नगर निगम बीकानेर की वेबसाईट www.bikanermc.org पर Pay Online Tender ऑप्शन द्वारा Online Tender, RISL, EMD Fee Pay पर होगा। निविदा का ऑनलाईन भुगतान करने के पश्चात् जारी हुई रसीद की प्रति को ऑनलाईन वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
2.	फर्म का जीएसटी विभाग द्वारा जारी जीएसटी सर्टिफिकेट मय नवीनतम् जीएसटी रिर्टन प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करनी होगी।
3.	पेन कार्ड की सत्यापित प्रति।
4.	आय कर एवं जीएसटी कर बकाया ना होने का राशि 100 रूपये का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ–पत्र। (संलग्न प्रारूप–01)
5.	कर्मचारी भविष्य निधि हेतु (EPF) पंजीयन प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।
6.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम (ESI), 1948 पंजीयन प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।
7.	किसी भी राजकीय कार्यालय में फर्म के डी–बार/ब्लैकलिस्ट ना होने का 100/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ–पत्र नोटेरी सहित अपलोड करना अनिवार्य होगा। (संलग्न प्रारूप–02)
8.	नगर निगम बीकानेर कार्यालय में ब्लड रिलेशन कार्यरत नहीं होने बाबत् 100/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ–पत्र। (संलग्न प्रारूप–03)
9.	निविदादाता द्वारा आरटीपीपी के एक्ट के सेक्शन 7 एवं 11 मय घोषणा पत्र राशि 100 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्रतिलिपि। (संलग्न प्रारूप–04)
10.	संवेदक द्वारा अंडर टेंकिग राशि 100 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर देनी होगी। (संलग्न प्रारूप–05)
11.	संवेदक को विगत 03 वित्तीय वर्षों में निविदा राशि का वार्षिक औसत न्यूनतम 50 प्रतिशत टर्न ओवर प्रतिवर्ष का होना अनिवार्य है। इस हेतु संवेदक द्वारा सी.ए. से जारी प्रमाण–पत्र की प्रति (UDIN No.सहित) अपलोड करना अनिवार्य होगा।
12.	संवेदक को किसी भी सरकारी/अर्द्धसरकारी/पीएसयू/स्वायत्तशासी संस्था के अधीन समान प्रकृति के (केवल LED Street Lights के मेन्टिनेंस सम्बन्धी) कार्य का अनुभव होना आवश्यक है :– 1. गत 03 वित्तीय वर्ष में कार्य की अनुमानित लागत का 60 प्रतिशत राशि के बराबर या 30000 एलईडी स्ट्रीट लाईटों का संधारण कार्य का पूर्णता प्रमाण–पत्र (एकल कार्यादेश) संलग्न करना होगा। **अथवा** 2. गत 03 वित्तीय वर्ष में दो कार्य जिनमें प्रत्येक कार्य अनुमानित लागत का 40 प्रतिशत के बराबर या 20000 एलईडी स्ट्रीट लाईटों का संधारण कार्य का पूर्णता प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा। **अथवा** 3. गत 03 वित्तीय वर्ष में तीन कार्य जिनमें प्रत्येक कार्य का अनुमानित लागत का 30 प्रतिशत के बराबर या 15000 एलईडी स्ट्रीट लाईटों का संधारण कार्य का पूर्णता प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।
13.	कार्यालय वरिष्ठ विद्युत निरीक्षक के अन्तर्गत विद्युत निरीक्षणालय द्वारा जारी डिजीटल कॉन्ट्रेक्टर लाईसेंस की प्रति। उक्त के अभाव में पुराना लाईसेन्स मान्य नहीं होगा। अतः सभी निवेदकों को उक्त डिजीटल लाईसेन्स कि प्रतिलिपि निविदा के साथ www.eproc.rajasthan.gov.in वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा स्वीकृत नहीं की जावेगी।
14.	विद्युत कार्य हेतु किसी भी सरकारी या अर्द्धसरकारी कार्यालय में निर्धारित श्रेणी में निम्नानुसार पंजीयन की सत्यापित प्रति :– 1. E-EWSD-Ist Any Amount 2. E-EWSD-IInd Up to 50.00 Lacs 3. E-EWSD-IIIrd Up to 20.00 Lacs 4. E-EWSD-IVth Up to 07.50 Lacs
15.	संवेदक द्वारा निविदा दस्तावेज मय समस्त निविदा प्रपत्रों में संलग्न **Annexure-A RUIDP ISOR-2023, A, B, C, D, and SR-11 Form** पर स्वयं प्रमाणित कर ऑनलाईन अपलोड करना होगा।

नोट :– निविदादाता को बिन्दू संख्या 01 से 15 में वर्णित समस्त दस्तावेजों को तकनीकी बिड भाग में ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है।

कनिष्ठ अभियंता (वि.) नगर निगम बीकानेर	अधिशाषी अभियंता (वि.) नगर निगम बीकानेर	सहा.लेखाधिकारी नगर निगम बीकानेर	वित्तीय सलाहकार नगर निगम बीकानेर	उपायुक्त नगर निगम बीकानेर

निविदादाता के हस्ताक्षर मुहर सहित

–: निविदा की सामान्य शर्तें :–

1. यदि निविदादाता ऐसी शर्तें आरोपित करता है जो इसमें वर्णित शर्तों के अतिरिक्त है या उनके विरोध में है तो उसकी निविदा को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जाएगा। किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जावेगा जब तक कि क्रेता अधिकारी द्वारा जारी किये गए निविदा स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो।
2. केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रम प्रतिभूति राशि जमा करवाने से मुक्त होंगे।
3. **कार्य सम्पादन प्रतिभूतिः–** माल और सेवाओं के उपापन के मामले में प्रदाय आदेश की रकम 5 प्रतिशत एवं संकर्मों के मामले में 10 प्रतिशत होगी। राजस्थान के लघु उद्योगों से भिन्न रूग्ण उद्योगों के मामले में जिनके मामले औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (BIFR) के समक्ष लम्बित है, प्रदाय आदेश की रकम का 1 प्रतिशत होगी। यह निम्न में से किसी एक रूप में जमा करवानी होगी :–
   1. किसी अनुसूचित बैंक की बैंक गारन्टी।
   2. राष्ट्रीय बचत पत्र।
   3. किसी अनुसूचित बैंक की बैंक गारन्टी।
   4. किसी अनुसूचित बैंक की निपत जमा रसीद (एफडीआर)।
   5. E-Grass कार्य सम्पादन प्रतिभूति से सम्बन्धित शर्ते :–
      (a) कार्य सम्पादन प्रतिभूति पर कार्यालय द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा।
      (b) निम्नलिखित मामतों में कार्य सम्पादन प्रतिभूति समपहरण (Forfiet) कर ली जावेगी।
         1. जब संविदा के किन्हीं निबंधन/शर्तों का उल्लंघन किया जाता है।
         2. जब निविदादाता सम्पूर्ण कार्य संतोषजनक ढ़ंग से करने में असफल रहता है।
         3. कार्य सम्पादन प्रतिभूति का समपहरण करने के मामले में युक्तियुक्त समयपूर्व नोटिस दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में आयुक्त, नगर निगम बीकानेर का निर्णय अंतिम होगा।
4. **बोली प्रतिभूति** :– उपापन की विषय वस्तु के प्राक्कलित मूल्य का 2 प्रतिशत होगी। राजस्थान के लघु उद्योगों की दशा में जिनके मामले औद्योगिकी एवं वित्त पुनर्निर्माण बोर्ड के समक्ष लम्बित है, यह बोली के मूल्य का 1 प्रतिशत होगी, जो कि नगद ऑनलाईन माध्यम से जमा करवानी होगी। इसके बिना निविदा पर विचार नहीं किया जोवगा। केन्द्र एवं राज्य सरकार के उपक्रमों को कोई बयाना राशि (EMD) प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बिना निविदा पर विचार नहीं किया जोवगा। केन्द्र एवं राज्य सरकार के उपक्रमों से बोली प्रतिभूति की घोषणा ली जावेगी एवं कार्य की बयाना राशि (EMD) प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।
5. असफल बोली लगाने वालों की बोली प्रतिभूति का प्रतिदाय सफल बोली की अंतिम स्वीकृति और करार के हस्ताक्षर करने और कार्य सम्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करने के शीघ्र पश्चात् कर दिया जावेगा।
6. बोली लगाने वाले से ली गई बोली प्रतिभूति निम्नलिखित मामलों में समपहरण कर दी जावेगी :–
   1. जब बोली लगाने वाला बोली के खुलने के पश्चात् अपनी बोली प्रत्याहृत या उपान्तरित करता है।
   2. जब बोली लगाने वाला विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर करार यदि कोई हो का निष्पादन नहीं करता है।
   3. जब बोली लगाने वाला विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रदाय/संकर्म आदेश के अनुसार माल या सेवा का प्रदाय या संकर्म का निष्पादन प्रारम्भ करने में असफल रहता है।
   4. जब बोली लगाने वाला प्रदाय/संकर्म आदेश दिये जाने के पश्चात् विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नही करवाता है।
7. सफल बोली लगाने वाले की दशा में, बोली प्रतिभूति की रकम कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम में समायोजित की जा सकती है या लौटाई जा सकती है। यदि सफल बोली लगाने वाला पूर्ण रकम की कार्य सम्पादन प्रतिभूति दे देता है।
8. **निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में निविदा के समस्त निबंधनों एवं शर्तो को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।**
9. दरें शब्दों एवं अंकों दोनों में लिखी जावेगा। इसमें कोई त्रुटियाँ/उपरिलेखन नहीं होना चाहिए। यदि कोई दरें अस्पष्ट होने पर शब्दों में लिखी गई दर मान्य होगी।
10. निविदाएं उनके खोले जाने की दिनांक से 03 माह (90 दिवस) की अवधि के लिये मान्य होगी।
11. निविदादाता फर्म अपनी संविदा को या उसके किसी साखान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सौंपेगी या उसे भाड़े पर नहीं देगी।
12. बयाना राशि से छूट उन फर्मो को है जो SSI यूनिट/MSME के अधीन पंजीकृत है, उन मदों के सम्बन्ध में जिनके के लिए उक्त रूप से रजिस्टर्ड की गई है, उनके द्वारा मूल पंजीयन प्रमाण–पत्र या किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत् अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने पर निविदाएं आमंत्रित करने की सूचना में दिखाए गए निविदा के 0.5 प्रतिशत दर पर बयाना राशि जमा करवानी होगी।
13. क्रेता अधिकारी या उसका विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि, सभी युक्तियुक्त समयों पर प्रदायकर्ता के परिसर में जाएगा तथा उसे विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान या उसके बाद जैसा भी निश्चय किया जाए, सभी युक्तियुक्त समयों पर मालों/उपकरणों/मशीनों की सामग्री एवं कार्य कौशल की निरीक्षण एवं जाँच करने की शक्ति होगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर मुहर सहित

14. यदि उपापन संस्था किन्हीं निविदत्त वस्तुओं की खरीद नहीं करता है या निविदा प्रपत्र में निर्दिष्ट मात्रा से कम मात्रा में माल खरीदता है तो निविदादाता किसी क्षतिपूर्ति का क्लेम करने का हकदार नहीं होगा।
15. बोलीदाता द्वारा कार्यालय के किसी कार्मिक को बोली के संबंध में या अन्य प्रकार से दबाव बनाने या परेशान करने पर बोली दाता/फर्म को ब्लैक लिस्ट किया जाकर कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी।
16. बोली दस्तावेज में वर्णित शर्तों, प्रावधान, शास्ति आदि के सम्बन्ध में अस्पष्टता होने पर या उल्लेख नहीं होने पर आयुक्त, नगर निगम बीकानेर का निर्णय अंतिम एवं मान्य बाध्य होगा अर्थात् बोली दस्तावेज में शर्तों, प्रावधान, शास्ति आदि का उल्लेख नहीं हो या विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो उस पर आयुक्त, नगर निगम बीकानेर द्वारा निर्धारण किया जाएगा जो अंतिम एवं मान्य/बाध्य होगा।
17. वार्षिक दर संविदा अवधि में किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद या विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर आयुक्त नगर निगम बीकानेर का निर्णय अंतिम एवं मान्य/बाध्य होगा।
18. तकनीकी योग्यता के निर्धारण के लिए समस्त शपथ पत्र पर घोषणा राजस्थान सरकार के स्टाम्प पर पृथक पृथक प्रस्तुत किया जावेगा जिस पर उपापन समिति या आयुक्त नगर निगम बीकानेर का निर्णय अंतिम एवं मान्य/बाध्य होगा।
19. बोली दस्तावेज को डाउनलोड करके बोली को दस्तावेज में वर्णित समस्त शर्तों, प्रावधान, शास्ति आदि अच्छे से पढ़ कर भली भांति समझ कर उनको स्वीकार करने के प्रमाण में बोली दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर बोलीदाता द्वारा हस्ताक्षर मय सील कर तकनिकी बोली दस्तावेज के साथ अपलोड किया जाना अनिवार्य है अन्यथा बोली पर विचार नहीं किया जावेगा।
20. **ई-बोली का प्रत्याहरण, प्रतिस्थापन और उपांतरण ऑनलाइन ही अंतिम तिथि से पूर्व किया जावेगा। ऑफलाईन या कार्यालय में प्रस्तुत पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा।**
21. बोली प्रक्रिया पर बोली दाता को कोई भी आपत्ति होने पर राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के प्रावधान के अनुसार अपील की जा सकती है तथा शिकायत पर विचार नहीं किया जावेगा।
22. **कार्य की समयावधि 12 माह तक होगी। उक्त समयावधि को संवेदक व नगर निगम बीकानेर की सहमति से 01 वर्ष तक वृद्धि की जा सकेगी। इस हेतु श्रीमान् आयुक्त महोदय व माननीय प्रशासक महोदया सक्षम होंगे। यदि किसी कारणवश आगामी निविदा यथा समय सम्पादित नहीं हो पाती है तो उस स्थिति में श्रीमान् आयुक्त महोदय व माननीय प्रशासक महोदया की स्वीकृति पश्चात् कार्यावधि में वृद्धि की जा सकेगी।**
23. **प्री-बिड मीटिंग की तिथि दिनांक** 24/01/2025 **को प्रातः 11:00 बजे** मुख्य कार्यालय **नगर निगम बीकानेर कार्यालय में आयोजित होगी।**
24. बोली दस्तावेज में किसी शर्त, प्रावधान, शास्ति आदि का विरोधाभास होने पर आयुक्त, नगर निगम बीकानेर का निर्णय अंतिम एवं मान्य/बाध्य होगा।
25. वित्त विभाग राज सरकार जयपुर या सक्षम प्राधिकारी द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के अनुसरण में कोई भी संशोधन एवं परिपत्र जारी किया जाता है तो स्वतः ही इस बोली दस्तावेज एवं वार्षिक दर अनुबंध का हिस्सा होगा एवं लागू होगा।
26. उपापन संस्था किसी भी निविदा जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की निविदा नहीं है, को स्वीकार करने, बिना कोई ठोस कारण बताये किसी भी निविदा को रद्द करने या जिन वस्तुओं के लिए निविदादाता ने निविदा दी है, उन सब के लिए या किसी एक या अधिक निविदादाताओं के लिए निविदा को स्वीकार करने या एक फर्म या प्रदायकर्ता से अधिक को वितरित करने का अधिकार अपने पास आरक्षित रखेगी।
27. निविदादाता करार को निष्पादित करते समय निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करेगा :
    1. यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख (पार्टनरशिप डीड) की एक अनुप्रमाणित प्रति।
    2. यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष।
    3. एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता, टेलीफोन नो.।
    4. कंपनी के मामले में कंपनी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।
28. उक्त निविदा कार्य हेतु जोईन्ट वेन्चर (JV) मान्य नहीं होगा।
29. यदि संविदा के निर्वाचन, आशय या संविदा की शर्तों के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों के द्वारा मामले को विभागाध्यक्ष को भेजा जायेगा जो उस विवाद के लिए एकमात्र मध्यस्त (सोल आर्बिट्रेटर) के रूप में अपने वरिष्ठतम उप अधिकारी की नियुक्ति करेगा। यह उप अधिकारी इस संविदा से संबधित नहीं होगा तथा उसका निर्णय अंतिम होगा।
30. **अनुबंध सम्पादन के दौरान संवेदक द्वारा समस्त निविदा शर्तों को स्वयं प्रमाणित कर अनुबंध के साथ संलग्न करना होगा।**
31. निविदा दस्तावेजों की सम्पूर्ण प्रति को डाउनलोड कर निविदा में वर्णित समस्त शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण स्वरूप निविदादाता द्वारा अपने हस्ताक्षर मय सील सहित तकनीकी निविदा दस्तावेजों के साथ अपलोड करना अनिवार्य है अन्यथा निविदा को निरस्त कर दिया जावेगा।

कनिष्ठ अभियंता (वि.) नगर निगम बीकानेर	अधिशाषी अभियंता (वि.) नगर निगम बीकानेर	सहा.लेखाधिकारी नगर निगम बीकानेर	वित्तीय सलाहकार नगर निगम बीकानेर	उपायुक्त नगर निगम बीकानेर

निविदादाता के हस्ताक्षर मुहर सहित

—: मुख्य निविदा शर्तें :—

1. निविदादाता अपने ठेके या उसके किसी मूल भाग को किसी अन्य एजेन्सी/फर्म को हस्तान्तरित नहीं कर सकेगा।
2. सफल निविदादाता जिसका टेण्डर स्वीकृत किया जाता है, को कार्यादेश प्राप्त होने के अधिकतम 07 दिवस में नियमानुसार नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबन्ध करवाना आवश्यक होगा एवं इसके साथ ही कार्यादेश तिथि के अधिकतम 10 दिवस में कार्य प्रारम्भ करना सुनिश्चित करना होगा।
3. सफलतम निविदादाता को सभी प्रकार के उपकरण, साधन एवं वाहन इत्यादि संवेदक को स्वयं अपने स्तर पर लगवाने होंगे।
4. विद्युत फॉल्ट व अन्य कारणों से रोड़ लाईट कनेक्शन एवं ब्रांच सर्किट बन्द/फाल्ट होने पर चालू करने का दायित्व संवेदक का होगा। रोड़ लाईट का मीटर जलने/खराब होने पर सम्बन्धित विधुत विभाग में एवं निगम कार्यालय में लिखित में सूचना देनी होगी।
5. आपातकालीन स्थिति एवं कार्यभार की आवश्यकतानुसार मेन्टिनेन्स टीमों की संख्या को उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार घटाया या बढ़ाया जा सकता है। किसी भी आपातकालीन स्थिति में नगर निगम अधिकारियों के निर्देशानुसार बताये गये स्थान पर कार्य करने हेतु निविदादाता व्यक्तिगत रूप से बाध्य होगा। आदेशों की पालना नहीं करने पर निविदादाता के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।
6. कार्य के दौरान बदला जाने वाला सामान निविदा के 'G-Schedule'/ 'H-Schedule' में अंकित आईटम अनुसार होना आवश्यक है अन्यथा इसके अभाव में नियमानुसार शास्ति आरोपित की जावेगी। संवेदक द्वारा बदला गया सामान निगम कार्यालय में जमा करवाकर सूची प्रतिमाह बिल के साथ प्रस्तुत करनी होगी।
7. यदि किसी फर्म की कोई राशि नगर निगम बीकानेर कार्यालय में पूर्व में जमा है तो उसे धरोहर/प्रतिभूति राशि पेटे नहीं माना जावेगा। उपरोक्त धरोहर राशि के निविदा के अंतिम में रूप से स्वीकार किये जाने के पश्चात् नियमानुसार समस्त असफल निविदाकार को प्रत्यर्पित कर दी जावेगी, जबकि सफल निविदादाता के मामले में इसे प्रतिभूति के एक भाग में मान लिया जावेगा। कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि वास्तविक राशि के प्रतिशत होगी।
8. वित्त विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक 22.10.2021 के अनुसार अतिरिक्त प्रतिभूति राशि (Additional Performance Security) Unbalanced Bid Amount का 50 प्रतिशत अनुबंध सम्पादन से पूर्व निगम कोष में ई–ग्रास, डिमाण्ड ड्राफ्ट, बैंकर्स चैक या बैंक गारन्टी के रूप में जमा करवानी होगी।
9. मुख्य मार्गों पर स्थित डिवाईडर पर पोल एवं केबल प्रतिस्थापन का कार्य सम्पादन के दौरान संवेदक को अपने स्तर पर अनुभवी श्रमिकों द्वारा कार्य करवाना होगा।
10. मुख्य मार्गों पर पोल्स एवं केबल कार्य करने हेतु अनुमति संवेदक को स्वयं के स्तर पर सम्बन्धित कार्यालय/विभाग द्वारा निगम अधिकारियों से आपसी समन्वय स्थापित कर प्राप्त करनी होगी।
11. निविदादाता द्वारा दी गई दरें समस्त प्रकार के कर सहित मानी जाएगी एवं किसी भी प्रकार का अतिरिक्त कर देय नहीं होगा।
12. निविदादाता को आपातकालीन स्थिति, दुर्घटना एवं जनहानि के समय निगम प्रशासन की ओर से दिये गए निर्देशों के अनुरूप कार्य करना होगा।
13. फर्म को किये जाने वाले भुगतान में से राज्य सरकार को देय समस्त व्यय (समस्त प्रकार के कर हेतु कटौती) एवं कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान का भुगतान निविदादाता द्वारा ही वहन किया जावेगा।
14. किसी भी प्रकार के विवाद में श्रीमान् आयुक्त/प्रशासक का निर्णय अन्तिम होगा तथा दोनों पक्षों को मान्य होगा।
15. आयुक्त, नगर निगम बीकानेर बिना कारण बताये किसी भी चालू ठेके को 03 नोटिस पश्चात् निरस्त कर सकेंगे। इस निरस्तीकरण के कारण कोई भी क्षतिपूर्ति नहीं दी जावेगी।
16. न्यायिक विवाद की स्थिति में न्यायालय का क्षेत्र बीकानेर होगा।
17. निविदादाता द्वारा स्वयं के स्तर पर शर्तों के विरूद्ध कार्य बन्द रखने पर उस दिवस के समय की स्वीकृत राशि के अतिरिक्त 10000/– रू. प्रति दिवस शास्ति दण्ड के रूप में वसूल की जावेगी।
18. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिशा–निर्देशों आदि की पालना नही करने की स्थिति में उसके परिमाणों/दायित्वों के लिये संवेदक स्वयं उतरदायी होगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर मुहर सहित

19. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।
20. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई करवाने/सामुहिक दुर्घटना बीमा करवानें इत्यादि की समस्त जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिये उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
21. संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ एवं ई. एस.आई. जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक का अंशदान शामिल होगा। संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ और ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा करवाए जाने की पुष्टि में सम्बन्धित चालान की प्रति प्रस्तुत किये जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जावेगा।
22. **संवेदक को RUIDP ISOR, 2023 के Annexure-A की पालना सुनिश्चित करनी होगी।**
23. संवेदक यह सुनिश्चित करें कि कहीं पर भी यदि कोई फॉल्ट अथवा करंट प्रवाह होने की सूचना प्राप्त होती है तो निगम अभियंताओं के दिशा-निर्देश के अनुसार अविलंब उक्त स्थान पर मेन्टिनेन्स टीम को भेजकर फॉल्ट संधारण का कार्य करवाना सुनिश्चित करें तथा विशेष मौके यथा वीआईपी विजिट/वर्षा काल आदि के दौरान खुली पड़ी केबल्स को उचित रूप से टेपिंग आदि का विशेष ध्यान रखा जावे तथा ध्यान में लायी गई खामियों को तुरन्त प्रभाव से दुरस्त करवाया जाना सुनिश्चित करें।
24. संवेदक यह सुनिश्चित करें कि संधारण कार्य करने वाली टीमों एवं कार्मिकों द्वारा समुचित सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग करना अनिवार्य है।
25. सुरक्षा मापदण्डों में किसी भी तरह की लापरवाही बरतने से यदि किसी जान-माल की क्षति अथवा अप्रिय घटना घटित होती है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं संवेदक/फर्म की होगी।
26. किसी भी आपातकाल स्थिति एवं विशेष अवसरों पर संवेदक द्वारा सम्बन्धित कनिष्ठ/अधिशाषी अभियंता विद्युत के दिशा-निर्देश अनुसार कार्य अविलम्ब करवाया जाना होगा।
27. निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाले निविदादाता निविदा सम्बंधित शर्तों को भली-भाँति पढ़ अथवा समझ लेवें एवं शर्तों से सहमत होने के पश्चात् ही निविदा प्रक्रिया में भाग लेवें।
28. यदि राज्य सरकार/निदेशालय/स्वायत्त शासन विभाग के स्तर पर एलईडी स्ट्रीट लाईट संधारण व रख-रखाव सम्बन्धित कोई आदेश/दिशा-निर्देश/परिपत्र जारी किया जाता है तो उक्तानुसार इस ई-निविदा व जारी कार्यादेश को रद्द किया जा सकेगा, जिस हेतु संवेदक द्वारा किसी प्रकार का वाद-विवाद/क्षतिपूर्ति दावा मान्य नहीं होगा।
29. संवेदक को कुल स्ट्रीट लाईटों के 05 प्रतिशत लाईटों हेतु स्पेयर पार्ट्स यथा ड्राईवर, एसपीडी, एमसीपीसीबी आदि की इन्वेन्टरी रखनी होगी जिसका निगम के अधिकारियों द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा।

-: निविदा की विशिष्ट शर्तें :-

1. बीकानेर नगरीय क्षेत्र में समय-समय पर स्थापित की गई एलईडी स्ट्रीट लाईट्स, हाईमास्ट, मिनी हाईमास्ट, फेजवायर स्ट्रक्चर मय सम्पूर्ण सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था तंत्र के संधारण कार्य हेतु निविदा जारी की गई है।
2. नगरीय क्षेत्र में स्थापित सम्पूर्ण फेजवायर नेटवर्क जिसमें अण्डरग्राउण्ड/ओवरहेड फेजवायर, केबल, जंक्शन बॉक्स आदि शामिल है। अतः इन सभी का संधारण कार्य भी उक्त निविदा कार्य के स्कोप में शामिल है।
3. ई-निविदा के अन्तर्गत बीकानेर नगरीय क्षेत्र में लगी स्ट्रीट लाईटों तथा हाईमास्ट लाईट्स का संधारण कार्य भी शामिल है। संवेदक को संधारण कार्य के दौरान लाईट्स में लगने वाले स्पेयर पार्ट्स यथा एसपीडी, ड्राईवर, ग्लास, कवर, फिक्सचर, पीसीबी प्लेट, कनेक्टर आदि सम्मिलित हैं तथा इसके साथ ही क्लेम्प, नट-बोल्ट, ब्रेकेट्स व स्ट्रीट लाईट जम्पर तक संधारण/प्रतिस्थापन संवेदक को करना होगा। इस हेतु आवश्यक टेप, जम्पर केबल भी संवेदक द्वारा ही लगाई जावेगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर मुहर सहित

4. संवेदक को नगर निगम क्षेत्र में स्थापित फेजवायर/स्विच वायर सिस्टम/नेटवर्क आदि के सम्पूर्ण संधारण का कार्य मेटेरियल सहित करना होगा तथा संधारण कार्य में लगने वाला सामान "आईएसओआर व जी–शेड्यूल" अनुरूप ही लगाना होगा। संधारण कार्य फॉल्ट खोजना व सही करना, फॉल्टी/खराब केबल हटाना तथा उसे सही करना, रिपलेस करना, जोईन्टिंग, टेपिंग, कनेक्शन आदि सम्बन्धित कार्य पूर्ण रूप से सम्मिलित रहेंगे।
5. अण्डरग्राउण्ड केबल/डिवाइडर हेतु संवेदक को फॉल्ट खोजने हेतु आवश्यक Excavation & Backfilling स्वयं के स्तर पर करवानी होगी। इस हेतु अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा।
6. संवेदक को आवश्यकता होने पर कनिष्ठ अभियंता के निर्देशन में डायरेक्ट जुड़ी लाईटों को स्विच वायर में कनेक्शन करना होगा। इस हेतु संवेदक को पृथक से कोई भुगतान नहीं किया जावेगा। संवेदक को स्वयं के स्तर से भी यदि कोई डायरेक्ट जुड़ा हुआ पोईन्ट प्राप्त होता है तो उसे फेजवायर से जोड़ना होगा। नहीं जोड़े जाने पर 100/– रूपये प्रति पोईन्ट शास्ति आरोपित की जा सकेगी।
7. स्ट्रीट लाईटों की स्विचिंग वास्ते निकाय में विभिन्न स्थानों पर सीसीएमएस पैनल स्थापित हैं। आवश्यक होने पर संवेदक को उक्त पैनल सम्बन्धित तकनीकी अभियंता (वि.) के निर्देशन पर अन्यत्र स्थान पर शिफ्ट करना होगा, जिसमें पुराना कनेक्शन हटाना व नवीन कनेक्शन करना सम्मिलित होगा। इस हेतु संवेदक को पृथक से कोई भुगतान नहीं किया जावेगा।
8. सप्लाई में समस्या होने पर संवेदक को बीकेईएसएल से सम्पर्क कर समस्या का निस्तारण करना होगा।
9. संवेदक को मेन्यूअल पोईन्ट्स में लगे स्विच/एमसीबी/आईटीपी आदि "आईएसओआर व जी–श्ड्यूल" अनुसार रिप्लेस करने होंगे।
10. संवेदक को खराब/जले केबल को नवीन जम्पर/केबल से निर्देशानुसार रिप्लेस करना होगा। लगाए जाने वाले सामान का सेम्पल निगम के विद्युत कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
11. संवेदक को एक हेल्पलाईन नम्बर स्थापित करते हुए आमजन/जनप्रतिनिधियों द्वारा प्राप्त दैनिक शिकायतों को दर्ज करना, सम्बन्धित रेक्टिफिकेशन टीम को भेजना तथा शिकायत का निस्तारण करने पश्चात् इनका रिकॉर्ड संधारित कर रिपोर्ट प्रतिदिन, साप्ताहिक, मासिक रूप से हार्डकॉपी/सॉफ्टकॉपी में निगम को प्रेषित करने हेतु एक सुचारू सिस्टम विकसित करना होगा।
12. **संवेदक को हेल्पलाईन हेतु एक मोबाइल नम्बर देना होगा, जिसे प्रोजेक्ट/निविदा अवधि के समाप्त होने पर निगम को सुपुर्द करना होगा।**
13. **संवेदक को शिकायत दर्ज करने हेतु कॉल सेन्टर स्थापित करना होगा एवं प्रतिदिन प्राप्त होने वाली शिकायतों का शिकायत रजिस्टर में दर्ज करना होगा। इस हेतु संवेदक को कार्य कुशल, मृदुभाषी व्यक्ति नियुक्त करना होगा। शिकायत दर्ज करने का समय प्रातः 09:30 से सांय 06:00 बजे तक रहेगा।**
14. संवेदक को प्राप्त स्ट्रीट लाईट शिकायतों का निस्तारण/समाधान शिकायत के दर्ज होने के 48 घंटों के भीतर करना अनिवार्य होगा अन्यथा नियमानुसार शास्ति आरोपित की जावेगी, जिसकी कटौती मासिक बिलों में से की जावेगी।
15. संवेदक को फॉल्ट सम्बन्धित शिकायतों का निस्तारण/समाधान शिकायत दर्ज होने के 48 घंटों के भीतर करना होगा अन्यथा शास्ति प्रावधान लागू किया जावेगा, जिसकी कटौती मासिक बिलों में से की जावेगी।
16. संवेदक के Scope of Work में रात्रिकालीन सर्वे भी शामिल है। संवेदक को रात्रिकाल में वार्डों, हाई–वे एवं विभिन्न मुख्य मार्गों आदि पर बंद पड़ी लाईटों का सर्वे करवाना होगा एवं अगले कार्यदिवस ही प्राप्त बंद/खराब लाईटों को शिकायत रजिस्टर में दर्ज कर उसे आगामी 48 घंटों के भीतर सही करवाना होगा।
17. संवेदक को रात्रिकालीन सर्वे हेतु 4 व्यक्ति लगाने होंगे जो प्रत्येक दिवस वार्डों का सर्वे करेंगे। सर्वे इस प्रकार किया जावे, जिससे प्रत्येक 15 दिवस में सभी वार्डों का सर्वे किया जा सके।
18. संवेदक को रात्रिकालीन सर्वे हेतु वार्डवार शेड्यूल, कार्य प्रारंभ होने से पूर्व व कृत सर्वे की रिपोर्ट पाक्षिक हार्डकापी/सॉफ्टकॉपी में जमा करवानी होगी।
19. संवेदक को एलईडी स्ट्रीट लाईटों, फेजवायर फॉल्ट संधारण, Complaint management system व रात्रिकालीन सर्वे की सतत् मॉनिटरिंग व समयबद्ध सूचना/रिपोर्ट/रिकॉर्ड संधारण हेतु अनुभवी, कुशल व किसी भी संकाय में स्नातक डिग्री धारक व्यक्ति को प्रबंधक/मैनेजर नियुक्त करना होगा, जो प्रतिदिन Complaint Status report, weekly complaint status report, fortnight रात्रिकालीन सर्वे रिपोर्ट व सर्वे के अन्तर्गत प्राप्त शिकायतों का सूची व मासिक कम्पेलट स्टेटस रिपोर्ट हार्डकॉपी व सॉफ्टकॉपी में निगम कार्यालय में आवश्यक रूप से जमा करवाएंगे।
20. संवेदक को निगम, फॉल्ट रेक्टिफिकेशन टीम व बीकेईएसएल कम्पनी के मध्य समन्वय स्थापित कर कार्य करवाना होगा।
21. संवेदक को नगर निगम बीकानेर के समस्त 80 वार्डों एवं मुख्य मार्गों, चौराहों आदि हेतु स्ट्रीट लाईटों संधारण कार्य वास्ते 08 टीम (01 टीम में अनुभवी वायरमैन व एक सहायक होगा) उपलब्ध करवानी होगी एवं सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र में फॉल्ट संधारण हेतु 04 टीम उपलब्ध करवानी होगी। उक्त सभी टीमों को आवश्यक टीमों को आवश्यक सुरक्षा उपकरण व सीढ़ी आदि संवेदक द्वारा उपलब्ध करवाए जाएंगे। टीम के कार्यक्षेत्र व कार्य प्रकृति में परिवर्तन सक्षम स्वीकृति पश्चात् ही किया जावेगा।

22. संवेदक को किसी टीम की अनुपलब्धता होने पर अतिरिक्त टीम की व्यवस्था करनी होगी, जिससे कार्य बाधित ना हो।
23. संवेदक को कार्य प्रारंभ होने से पूर्व सभी टीमों की सूची व वार्डवार वितरण का विवरण लिखित रूप से निगम कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
24. यदि निगम द्वारा नई लाईटें या हाईमास्ट लाईट स्थापित की जाती हैं या संवेदक को सुपुर्द की जाती है तो संवेदक को उक्त लाईटों के संधारण का कार्य भी करना होगा। उक्त का अतिरिक्त भुगतान प्रति एलईडी लाईट (Per point basis) से किया जावेगा।
25. संवेदक को सलाह दी जाती है कि ई–निविदा के भाग लेने से पूर्व सभी स्ट्रीट लाईट सिस्टम, स्विचिंग सिस्टम, फेजवायर सिस्टम आदि का अवलोकन कर लेवें। सकल संवेदक को पूर्ण स्ट्रीट लाईट सिस्टम यथास्थिति (As it is) संभालना होगा/संभलाया जाएगा।
26. संवेदक को भुगतान स्ट्रीट लाईटों वास्ते Per Point basis पर भुगतान किया जावेगा। फेजवायर नेटवर्क में फॉल्ट संधारण कार्य में लगे सामान जो "जी–शेड्यूल" में उल्लिखित है कि भुगतान मासिक उपभोग व कनिष्ठ अभियंता के प्रमाणीकरण के आधार पर किया जावेगा।
27. स्ट्रीट लाईटों के Per point Basis भुगतान में मेन्टिनेंस/रेक्टिफिकेशन टीम (कुल 12 टीमें), सामान यथा SPD, Driver, PCB Plates, Glass cover, secondary glass, fixtures, clamps, nut-bolt, brackets, street lights jumper, taping, insulation आदि कम्पलेंट मैनेजमेंट सिस्टम, रात्रिकालीन सर्वे पूर्णतः सम्मिलित है।
28. संवेदक को वर्तमान में चालू हेल्पलाईन नम्बर पर प्राप्त होने वाली शिकायतों का संधारण भी करना होगा।
29. संवेदक को अति–आवश्यक व वीआईपी शिकायतें, फोन, मैसेज, व्हाट्स–एप्प आदि माध्यम से दी जावेगी, जिनका निस्तारण तुरन्त करना होगा।
30. संवेदक को राजस्थान संपर्क, बीकानेर समाधान एप्प व रात्रिकालीन सर्वे से प्राप्त शिकायतों का अंकन विशिष्ट रूप से करना होगा जिसे चिह्नित कर पृथक रिकॉर्ड संधारण किया जा सके।
31. संवेदक द्वारा एलईडी स्ट्रीट लाईट से संबंधित दर्ज शिकायतों का निस्तारण 48 घंटों के भीतर नहीं होने पर शास्ति राशि **50/–** रूपये प्रति लाईट प्रति दिवस की कटौती की जावेगी। लम्बित लाईटों की सूची प्रतिदिन संकलित की जाएगी एवं सम्बन्धित कनिष्ठ अभियंता द्वारा मासिक कुल लम्बित शिकायतों की गणना का शास्ति आरोपित की जाएगी।
32. संवेदक को समय–समय पर विभिन्न सर्वे (खराब फिक्सचर्स, स्विचिंग पोईन्ट्स की संख्या, खाली/डेमेज्ड पोल्स आदि) कार्य भी टीमों के माध्यम से करवाने होंगे।
33. संवेदक द्वारा लाईन/फेजवायर फॉल्ट संबंधी शिकायतों का 48 घंटों के भीतर निस्तारण नहीं करने पर **500/–** रूपये प्रति शिकायत प्रति दिन की कटौती की जाएगी। शास्ति की गणना लम्बित शिकायतों के आधार पर मासिक रूप से सम्बन्धित कनिष्ठ अभियंता द्वारा की जाएगी।
34. संवेदक द्वारा कार्य में लापरवाही बरतने पर निम्नलिखित शास्ति प्रावधान लागू होगा, जिसकी कटौती मासिक बिलों में से किया जावेगा :–

क्र. सं.	शास्ति का प्रकार	शास्ति राशि (रूपयों में)
1.	48 घंटों के भीतर प्राप्त दैनिक शिकायतों का निस्तारण नहीं करने पर	50/– प्रति पोईन्ट प्रति दिवस
2.	फेजवायर की उपलब्धता होने पर लाईट डायरेक्ट जुड़ी पाए जाने पर	100/– प्रति लाईट
3.	अति–आवश्यक/आपातकालीन स्थिति में प्राप्त शिकायतों का सम्बन्धित अभियंता (विद्युत) के दिशा–निर्देशानुसार तुरन्त निस्तारण नहीं किये जाने पर	500/– प्रति शिकायत प्रति दिवस
4.	48 घंटों के भीतर लाईन फॉल्ट/लाईन सम्बन्धी शिकायतों का निस्तारण नहीं करने पर	500/– प्रति शिकायत प्रति दिवस
5.	रात्रिकालीन सर्वे नहीं किये जाने पर	500/– प्रति वार्ड
6.	शिकायत/हेल्पलाईन नम्बर बंद रखने पर	2500/– प्रति दिवस
7.	साप्ताहिक/मासिक/रात्रिकालीन सर्वे रिपोर्ट व श्ड्यूल की सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी उपलब्ध नहीं करवाने पर	3000/– प्रति रिपोर्ट

35. ई–निविदा में अंकित लाईटों की संख्या अनुमानित (Tentative) है। भुगतान सर्वे में प्राप्त संख्या के आधार पर ही किया जावेगा। उक्त लाईटों पर विभिन्न चौराहों पर स्थापित हाईमास्ट लाईटें सम्मिलित है।
36. संवदेक को निगम क्षेत्र में लगी एलईडी स्ट्रीट लाईटें यथास्थिति संभलायी जावेंगी। संवेदक को उक्त सभी लाईटों में बंद/खराब/जली हुई/टूटी हुई समस्त लाईटों को दुरूस्त करना होगा। इस हेतु निगम द्वारा कोई अतिरिक्त भुगतान या समय नहीं दिया जावेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर मुहर सहित

37. संवेदक को नगरीय क्षेत्र में शिकायत माध्यमों से प्राप्त MCPCB/Fixtures की सूची प्रतिदिन संधारित करनी होगी। यदि Fixtures मरम्मत योग्य ना (Beyond Repair) होने पर समान या अधिक वॉटेज के नवीनतम ISOR के अनुसार फिक्सचर्स से प्रतिस्थापित करनी होगी। उक्त फिक्सचर्स प्रतिस्थापित किये जाने से पूर्व इस कार्यालय को सैम्पल, आवश्यक रिपोर्ट उपलब्ध करवायी जानी अनिवार्य होगी। सक्षम स्वीकृति पश्चात् ही प्रतिस्थापन का कार्य किया जावे।

38. हाईमास्ट/मिनी हाईमास्ट लाईटों में फॉल्ट होने पर उतारने/चढ़ाने सहित लाईन फॉल्ट का निस्तारण व सभी लाईटों को 48 घंटों के भीतर ही चालू करना होगा। उक्त कार्य 48 घंटों के भीतर नहीं किये जाने पर प्रति लाईट के हिसाब से शास्ति आरोपित की जावेगी।

39. संवेदक को हाईमास्ट/मिनी हाईमास्ट लाईट्स के पैनल (सीसीएमएस के अतिरिक्त) का पूर्ण संधारण करना होगा, जिसमें पैनल बॉडी, स्टैण्ड, डिजिटल टाईमर, कॉन्टेक्टर, कॉपर केबल, एमसीबी, कनेक्टर, रोटरी स्विच, लॉकिंग सिस्टम इत्यादि का सम्पूर्ण संधारण करना होगा। पैनल संधारण में लगने वाला सामान नवीनतम ISOR के अनुरूप होना चाहिए, जिसका पृथक से कोई भुगतान निगम द्वारा देय नहीं होगा।

40. संधारण कार्य के दौरान टीम/कार्मिक द्वारा किसी भी मैन्यूअल पोईन्ट को मीटर बायपास करके चालू नहीं जावेगा। मीटर बायपास कर चालू पाए जाने पर डिस्कॉम/बीकेईएसएल द्वारा आरोपित शास्ति का भुगतान संवेदक द्वारा वहन किया जावेगा।

41. निगम क्षेत्र में स्थापित समस्त डिस्कॉम टाईमर का संधारण एवं रख–रखाव का कार्य संवेदक द्वारा स्वयं के स्तर पर ही करना होगा। यदि किसी कारणवश डिस्कॉम टाईमर मरम्मत योग्य नहीं है तथा उसके स्थान पर स्विचिंग मैन्यूअल पोईन्ट बनाया जाता तो उसकी सूचना से सम्बन्धित अभियंता को अवगत कराना होगा।

42. नगर निगम के अधीन मुख्य मार्गों पर लगे ट्यूबलर/ऑक्टागोनल पोल्स का संधारण करने वास्ते एक हाईड्रोलिक लिफ्टर होना आवश्यक है। इस हेतु संवेदक को हाईड्रोलिक मशीन के आरसी की प्रति अथवा अनुबंध पर लेने की प्रति कार्यादेश जारी होने की 10 दिवस की अवधि में प्रस्तुत करनी होगी। लिफ्टर उपलब्ध नहीं करवाने की स्थिति में प्रतिमाह राशि 15000/– रूपये की कटौति की जावेगी।

43. निगम से लिफ्टर मशीन मांगे जाने पर उपलब्धता के आधार पर निर्धारित शुल्क जमा करवाने के पश्चात् उपलब्ध करवायी जाएगी, परन्तु इस हेतु निगम को बाध्य नहीं किया जावेगा एवं लिफ्टर मशीन की अनुपलब्धता होने पर शिकायत लम्बित रहने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी संवेदक की होगी। लम्बित शिकायतों पर शास्ति बिन्दु संख्या 34 के अनुसार लागू होगी।

44. पीसीबी प्लेट्स के किसी भी कारण से जलने पर संवेदक को लाईट को सही करवाना होगा। एमसीपीसीबी प्लेट/फिक्सचर्स के शिकायतों को संवेदक द्वारा 48 घंटों के भीतर सही करना होगा। संवेदक को ऐसी शिकायतों की प्रति को सम्बन्धित कनिष्ठ अभियंता (वि.) से प्रमाणित करवा कर कार्यालय में रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

45. संवेदक को Burnt MCPCB Plates/Fixtures की शिकायतों को सम्बन्धित कनिष्ठ अभियंता से प्रमाणित करवाना होगा अन्यथा उक्त शिकायतों पर 48 घंटों के पश्चात् शास्ति आरोपित की जा सकेगी।

46. संवेदक को प्रशिक्षित कार्यकुशल टीम लगानी होगी। किसी टीम द्वारा कार्य नहीं करने, समयबद्ध कार्य नहीं करने, अभद्र व्यवहार करने, जनसामान्य/जनप्रतिनिधियों से बार–बार शिकायतें प्राप्त होने पर इस कार्यालय द्वारा लिखित आदेश पर हटाया जाकर नवीन टीम को प्रतिस्थापित करना होगा।

47. संवेदक को वर्तमान में लागू राज्य व केन्द्र सरकार के लेबर लॉ व सम्बन्धित नियमों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

48. संवेदक को टीम व कार्यरत कार्मिकों के इंश्योरेंस करवाना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त PF, ESI आदि संवेदक द्वारा ही किया जावेगा। इस सम्बन्ध में निगम द्वारा कोई भुगतान देय नहीं होगा।

49. यदि कार्य करने के दौरान कोई दुर्घटना/अप्रिय घटना घटित होती है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी संवेदक की होगी। निगम किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा और ना ही कोई दावा/क्लेम मान्य होगा।

50. किसी भी आपातकालीन स्थिति, वीवीआईपी विजिट, वर्षाकाल, तुफान के दौरान उच्चाधिकारियों द्वारा दिए गए दिशा–निर्देश अनुसार संवेदक को अतिरिक्त टीम उपलब्ध करवाकर कार्य सम्पादित करना होगा, जिसका पृथक से निगम द्वारा कोई भुगतान देय नहीं होगा।

51. संवेदक कार्य को सबलेट नहीं कर सकेगा, यदि ऐसा पाया जाता है तो निगम द्वारा अनुबंध निरस्त कर दिया जावेगा।

52. यदि राज्य सरकार/स्वायत्त शासन विभाग/नगर निगम के स्तर पर रोड़ लाईट रख–रखाव से सम्बन्धित या कोई प्रोजेक्ट लागू (कार्यादेश) किया जाता है तो संवेदक द्वारा उक्त निविदा के तहत् जारी कार्यादेश को निरस्त माना जावे तथा इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का वाद–विवाद संवेदक द्वारा नहीं किया जाएगा और संवेदक द्वारा निगम के विरूद्ध किसी भी प्रकार का दावा नहीं किया जावेगा।

53. **संवेदक को सभी स्ट्रीट लाईटों के फेजवायर, फेजवायर नेटवर्किंग में अण्डग्राउण्ड व ओवरहेड केबल्स, जम्पर, जंक्शन बॉक्स आदि को पूर्णतः इन्सूलेटेड करना होगा, जिससे वर्षा/मानसून/जल भराव होने पर किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। खुले केबल, वायर के जोईन्ट्स पर टेपिंग आदि करने की जिम्मेदारी संवेदक की होगी। संवेदक की लापरवाही से यदि कोई दुर्घटना/जनहानि होती है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी संवेदक की होगी।**

निविदादाता के हस्ताक्षर मुहर सहित

54. यदि फेजवायर से बिजली चोरी की जाती है तो संवेदक को इस सम्बन्ध में निगम के कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) को लिखित रूप से सूचित करना होगा।
55. संवेदक को एलईडी स्ट्रीट लाईट चोरी होने पर सम्बन्धित कनिष्ठ अभियंता के साथ मौका निरीक्षण कर जाँच रिपोर्ट कनिष्ठ अभियंता से प्रमाणित करवाकर सम्बन्धित पुलिस थाना में संवेदक को प्राथमिकी/एफआईआर दर्ज करवानी होगी एवं नवीन एलईडी स्ट्रीट लाईट प्रतिस्थापित करनी होगी, जिसका निगम द्वारा कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा।
56. संवेदक को संधारण कार्य में उचित मेक व वोल्टेज/एम्पीयर रेटिंग के ड्राईवर लगाने होंगे, जिससे लाईटों की गुणवत्ता व उचित प्रकाश बना रहे।
57. संवेदक को उक्त निविदा के अनुबंध की अवधि समाप्त होने पर सभी लाईटों, हाईमास्ट लाईटों को चालू अवस्था में निगम को सुपुर्द करना होगा।
58. यदि संवेदक की कार्यशैली संतोषजनक नहीं है तो उन्हें नोटिस जारी कर सूचित किया जावेगा ताकि कार्यशैली को सुधारने हेतु निर्देशित किया जावेगा। यदि इसके बाद भी कोई सुधार नहीं होता है तो 03 नोटिस तामिल किए जाकर अनुबंध श्रीमान् आयुक्त व माननीय प्रशासक, नगर निगम बीकानेर द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

कनिष्ठ अभियंता (वि.) नगर निगम बीकानेर	अधिशाषी अभियंता (वि.) नगर निगम बीकानेर	सहा.लेखाधिकारी नगर निगम बीकानेर	वित्तीय सलाहकार नगर निगम बीकानेर	उपायुक्त नगर निगम बीकानेर

उपरोक्त समस्त शर्तें मेरे द्वारा भली–भाँति पूर्ण रूप से पढ़ ली/समझ ली गई हैं एवं मुझे समस्त शर्तें मान्य है।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

फर्म का नाम :–

मोबाइल नम्बर :–

ई–मेल एड्रेस :–

पत्राचार हेतु स्थाई पता :–

प्रारूप—01

शपथ पत्र

(राशि 100 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर)

मैं.. एवं मेरी फर्म.. शपथ पूर्वक यह घोषणा करता हूँ राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार समय—समय पर आयकर, जीएसटी एवं अन्य कर को जमा या बराया जाता है। मेरी/हमारी/फर्म के विरूद्ध उक्त निविदा में भाग लेने तक किसी भी प्रकार का आयकर एवं जीएसटी कर बकाया नही है तथा इस संबंध में कोई वाद/प्रकरण बकाया नही है। यह घोषणा गलत/असत्य पाई जाती है तो फर्म के विरूद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए सहमत हूँ।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

प्रारूप –02

शपथ पत्र

(राशि 100 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर)

मैं.. एवं मेरी फर्म का नाम .... शपथ पूर्वक यह घोषणा करते है कि पिछले 05 साल में फर्म को किसी भी सरकारी संस्था/अर्द्धसरकारी संस्था/विभाग/निगम निकाय में ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया है। यदि यह घोषणा गलत/असत्य पाई जाती है तो फर्म के विरूद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए सहमत हूँ।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

प्रारूप–03

शपथ पत्र

(राशि 100 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर)

मैं.. एवं मेरी फर्म.. यह घोषणा करते है कि नगर निगम बीकानेर में कोई भी कर्मचारी/अधिकारी/पार्षद/प्रशासक/अन्य में से नजदीकी रिश्तेदार नहीं है। यह घोषणा गलत/असत्य पाई जाती है तो फर्म के विरूद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए सहमत हूँ।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

प्रारूप–04

शपथ पत्र

(राशि 100 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर)

Declaration by the Bidder

in Compliance of Section 7 & 11 of the Act

In relation to our bid submitted to Commissioner, Municipal Corporation bikaner for Procurement of Tender to .... work of municipal corporation for One years in response to their notice Inviting Bids No .... Dated....................... We hereb Declare under section 7 & 11 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that;

1. We possess the necessary professional, technical, financial and managerial resource and competence required by the bidding document issued by the procuring Entity;
2. We have fulfilled our obligation to pay such of the taxes payable to the central government or the state government or any local authority, as specified in the bidding document;
3. We are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and are not the subject of legal proceeding for any of the foregoing reasons;
4. We do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to our professional conduct or the making of false statement or misrepresentations as to our qualifiactions to enter into a procurement contract within a period of three years preceeding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant of debarment proceeding;
5. We do not have a conflict of interest as specified in the Rajasthan Transparency in public procurement Act, the Rajasthan Transparency in public procurement Rules and this Bidding Document, Which materially affects fair competition;
6. We have complied and shall continue to comply with the code of integrity as specified in the Rajasthan Transparency in public Procurement Act, the Rajasthan Transpanerncy in public procurement rules and this bidding document, till Completion of our entire obligation under the contract.

Date:

Place:

Signature of Bidder

Name:

Designation:

Address:

Mobile No. :

E-mail id :

प्रारूप–05

कार्यालय नगर निगम बीकानेर

–: अण्डर टेकिंग :–

निविदा के लिये मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत किये गये सभी पत्र व जानकारियों सही व सत्य है, यदि यह गलत व असत्य पायी गयी तो मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत निविदा निरस्त कर मेरी/हमारी जमा कार्य प्रतिभूति राशि जब्त करने के लिये आप अधिकृत है।

मेरे/हम को यह ज्ञात है कि हमारे द्वारा प्रस्तुत पत्र/जानकारी निविदा के कार्य समय में कभी भी असत्य व गलत पायी जाने पर मेरी/हमारी निविदा निरस्त कर दी जावेगी तथा कार्य प्रतिभूति राशि व भुगतान आदि राशि जब्त कर ली जावेगी।

मैं/हम यह भी घोषणा करते है कि मैनें/हमारे कार्य स्थल तथा कार्य विवरण को देख समझ लिया है। मैं/हम स्वीकार करते है कि हमारी जमा की गई धरोहर राशि तथा सिक्योरिटी डिपोजिट पर ब्याज देय नहीं होगा तथा अगर मैंने/हमनें (1) अपनी निविदा दर की वैधता 120 दिवस से कम समय के लिए प्रस्तुत की (2) दरें स्वीकृति के पश्चात् निविदा के निर्देशों की निर्धारित समय में पालना नही की (3) आदेशित कार्य समय पर प्रारम्भ नही किया (4) निविदा प्रपत्र में अगर नगर निगम के आदेश/निर्देशों की पालना नही की तो नगर निगम द्वारा निविदा निरस्त कर प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी। इन वाहनों से संबंधित सभी व्यय मैं/हमारे द्वारा वहन किया जायेगें।

मुझे/हमें यह ज्ञात है कि कार्य प्रतिभूति राशि का कार्य संतोष जनक समाप्त होने के पश्चात् मांग करने पर बिना ब्याज के भुगतान किया जावेगा।

निविदा स्वीकार होने पर निविदा के नियम, शर्तो, संलग्न प्रपत्रों, निगम आदेशों की पालना करने के लिये मैं/हम बाध्य हैं तथा सहमति देते है।

मैं/हम यह भी घोषणा करते है कि नगर निगम प्रशासनिक, विधिक या अन्य किसी कारण से किसी भी समय कार्यादेश की निरस्त कर सकता है तथा इसका कोई क्षतिपूर्ति भुगतान नही किया जावेगा। इसकी मैं/हम सहमति देतें है।

महामारी में बजट में फर्म रिस्क एंड कॉस्ट निविदा होने पर मेरे द्वारा भुगतान किया जायेगा या नगर निगम स्वतंत्र है।

दिनांक ....

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

MUNICIPAL CORPORATION BIKANER

कार्य का नामः– बीकानेर नगरीय क्षेत्र में ईईएसएल, सूर्या कम्पनी द्वारा स्थापित एलईडी स्ट्रीट लाईट्स संधारण एवं लाईन फॉल्ट, केबलिंग आदि के रख–रखाव का कार्य।

"G-Schedule"

E-NIT No.09/2024-25/Light

Sr. No.	Item Code	Item Description "Part-A : G-Schedule" (Material for line faults under Nigam Area)	Quantity	Unit	Rate	Amount
1	53.6.1	Supply & drawing Wiring for sub mains ISI marked (IS:694) 1100 Volts grade PVC insulated flat twin core sheathed solid aluminium conductor with 10 SWG G.I. Support wire duly clipped etc. as required. For additional technical parameters of product / work refer Annexure 'A' attached with this BSR. **4.0 sq.mm**	3500.00	Mtr.	62.00	217000.00
2	53.6.2	6.0 sq.mm	3000.00	Mtr.	75.00	225000.00
3	53.6.3	10.0 sq.mm	1500.00	Mtr.	100.00	150000.00
4	60.2.3.3	Providing & Laying P.V.C. / XLPE insulated & P.V.C. sheathed Arrmoured Aluminium cable confirming to IS:1554 P-I / IS :7098 P - I of 1.1 KV with H4- Grade electrolytic aluminium conductor confirming to IS 8130 of purity >99.6 %, round / flat strip armouring of cables, Inner / outer sheath confirming to IS:5831 in existing RCC / Hume / Stoneware / PVC pipe/ open duct/cable trench / Cable tray(with cable tie) including testing etc. as required of following size. OEM must have it's own in house NABL accrediated Laboratory for testing procedure as per IS:10810.For additional technical parameters of product / work refer Annexure 'A' attached with this BSR. **10.0 Sq. mm 4 core**	500.00	Mtr	197.00	98500.00
5	55.1.1.2	Providing & Fixing of 240/415 V AC MCB with positive isolation of 10 kA breaking capacity (B/ C/D tripping characteristic as per type of load and site requirement) 4 KV impulse withstand voltage, ISI marked IS 8828(1996) / conforming to IEC 60898-1 2002, IEC 60947-2, low watt losses, trip free mechanisum , energy limiting of class 3 as per IEC, minimum phase termination capacity of 35sq.mm. , conductor line load reversibility , IP 20 contact protection and fitted in existing distribution board/sheets, minimum electrical operation 20,000 upto 20 A rating and 10,000 upto 63 A, 5000 for 80 A & above rating including making connections, testing etc. as required. OEM shall have submit NABL / CPRI / ERDA accrediated lab type test reports & All as per pre approved by Engineer in-charge. For additional technical parameters of product / work refer Annexure 'A' attached with this BSR. **Single pole MCB (With B/C curve tripping Characteristics) 6 A to 32 A rating**	300.00	each	192.00	57600.00
6	42.38.1	S & Laying following size 'B' Class G.I. Pipe confirming to IS: 1239 P-1 (1990) with accessories for laying earth conductor/ strip/ cable in ground/ surface/ recess as required. **50 mm dia.**	100.00	Mtr	426.00	42600.00
7	61.13.2	P / L of Double wall corrugated HDPE pipe confirming to IS : 16205 P-24, Stiffness Class 750 N, Externally corrugated and having smooth surface inside with HDPE Coupler, Elbow, Tee at required Depth below the ground for laying cable of following Nominal Outer dia. MFR Test report from NABL accrediated is to be submitted.(Excavation of Earth & Back filling with compaction is to be Paid Extra)All as per pre approved by Engineer in-charge. For additional technical parameters of products/ work , refer Annexure "A" attached with this BSR . 63 mm	500.00	Mtr	101.00	50500.00
					Sub total (A) :	**841200.00**

"Part-B: H-Schedule

" Material and labour/maintenance team procurement for LED street lights (EESL-Surya) and Fault rectification of phase wire network under Nigam Area.

Ex.En(E)

Sr. No.	Item Code	Item Description	QTY	Unit	Estimated Rate(s)	Amount (for 1 year) (inclusive of all taxes) (in Rs.)
8	Market Rate	Street light maintenance work under bikaner municipal corporation area on per point per month basis for 01 year duration including changing spare parts, jumper wire maintenance, street light phasewire, overhead/underground cable fault rectification as per tender rules and direction of engineer in charge. Contractor has to provide man power and material/spare parts for fault rectification, phase wire network maintenance, LED street light maintenance, survey work and complaint management system as per scope of work defined in tender documents.	50407	per point per month		
	Total of PART-B					
	Total Amount (in Rs.)					
	Say Amount :-					231.48 Lacs

I/we agree to do the work as per specification and BMC terms & conditions.

1. PART-A as per G-Schedule @ .... % (Above/Below/BSR)
2. PART-B as per H-Schedule @ Rs. ..../-

Signature of Contractor with Seal

Ex.En (E)

Annexure-A

Additional Technical parameters of products/ work

1 PWD specifications for Electrical works -2012 (as amended upto date), relevent IS codes, National Building Code / National Lighting Code / National electric Code / Indian Electricty Rules (all as amended upto date) shall be treated as part of this Electric BSR-2022 for the purpose of detailed specifications & clarifications, if any. Henceforth this BSR-2022 shall be considered as part of all contracts/ agrements, controversy / dispute in interpretation of BSR -2022, decision of Chief Engineer (Electrical) PWD Rajasthan shall be final & binding.

2 The mode of measurment of wiring and method of work execution shall be uniform & strictly as laid down in PWD specification for electrical works 2012 in general and for genuine work practice.

3 OEM installation mannual guideline practice for execution of work at site must be followed by agency's engineer & verified by department.

4 Agency must ensure to execute all hidden items in presence of engineer-in-charge or site engineer. GPS Photo be attach at the time of measurment.

5 Tests of specified items below must be done in Government approved OEM's authorised Labs / outsource from government approved any authorised Lab by agency & no extra payment shall be made for below mentioned tests & procedures at all :-↓

Sr.No.	Item Name	Tests must be done in Government approved **OEM's authorised Labs** / outsource from government approved any authorised Lab as mentioned below:
	↓	01 test if quantity in BOQ/execution is more then ↓
1	Wiring accessories (switch / socket)	500 wiring points
2	Wiring accessories Regulator / dimmer	150 Nos.
3	PVC / Steel Conduit (Total of all sizes)	500 wiring points
4	Sheet Steel Box/ M.S. Box/ GI Box/ PVC Box (Total of all sizes)	300 Nos. (Total of all sizes)
5	MCB/RCCB/Isolator (1 Pole to 4 Pole) (Total of all amp rating)	150 Nos. (Total of all amp rating)
6	Ceiling Fan/ Exhaust /fresh air/ wall mounting fan. (Total All sizes)	100 Nos. (Total All sizes)

6 Factory Inspection for testing of specified items below must be done in Government approved **OEM's authorised Labs** by departmental Engineer. Agency must ensure to make all necessary permission and arrangements for the visit & no extra payment shall be made for all this procedure :-↓

Sr.No.	Item Name	Factory inspection for testing in Government approved OEM's authorised Labs by department engineer as mentioned below :-
	↓	If quantity in BOQ/execution is more then ↓
1	Indoor LED Lighting fixture all types	200 Nos.
2	Outdoor LED Lighting fixture all types	50 Nos.
3	Lattice tower all sizes	5 Nos.
4	Air Conditioner	30 Nos.
5	Air cooling machine/ Chillers	5 Nos.
6	Street light pole	30 Nos.
7	Transformer	compulsory for Each quantity
8	High mast pole	compulsory for Each each if height is16 Mtr.or more
9	DG set	compulsory for Each quantity
10	RMU	compulsory for Each quantity
11	Bus Bar Trunkning	compulsory for Each quantity

7 Any Items can be send for testing by Engineer-in-Charge in Government Authorised any approved Lab. Payment of testing charge shall be borne by department for that. Agency is liable to make all necessary arrangement to send the sample & get reports from lab without any extra cost.

8 Agency will submit minimum one year valid guarantee certificate of Product & Liable product genuineness purchase proof from OEM/ Authorised Dealer .

9 Appropriate/ Routine type Test Certificates/ reports related to IS code with liable standard warranty proof / certificate of product from OEM / authorised dealer shall be submitted by agency during / at the time of execution & duly verified by Engineer-in-Charge.

10 Agency must ensure to prepare the Satisfactory installation service report from OEM engineer for major items like DG set, Transformer, PSS, RMU, Fire fighting pumps, VRF/VRV, package AC units, ACB, High Mast (16 mtr. or higher) etc. and submit the same in Engineer In-charge office. All record be kept with agreement file.

Annexure A : Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall -

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) disclose conflict of interest, if any; and

(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

a. have controlling partners/ shareholders in common; or
b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to .... for procurement of .... in response to their Notice Inviting Bids No.............. Dated............. I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:
Place:

Signature of bidder
Name :
Designation:
Address:

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is ____________________

The designation and address of the Second Appellate Authority is ____________________

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

(a) determination of need of procurement;
(b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
(c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
(d) cancellation of a procurement process;
(e) applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-

(i) hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

FORM No. 1
[See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No ....of ....
Before the .... (First / Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:
   (i) Name of the appellant:

   (ii) Official address, if any:

   (iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):
   (i)
   (ii)
   (iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Grounds of appeal: ....
....
.... (Supported by an affidavit)

7. Prayer: ....
....
....

Place ....
Date ....
Appellant's Signature

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;
ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मै/हम घोषणा करता हूँ/करते है कि मैनें/हमने .... निविदा दी है।

यदि उक्त निविदा में दी गई जानकारी असत्य पायी जाये तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो कि जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्णरूप में समपहन्त कर लिया जाएगा तथा निविदा का, जिस सीमा तक उस स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जाये।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

निविदादाता का नाम

पूर्ण पता

टेलीफोन नं0 (निवास)

(कार्यालय)